

पत्र क्र. 2028 / तक / म0प्र0ग्रासप्रा / 2022

बालाघाट दिनांक 11 / 11 / 2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला बालाघाट (म.प्र.)

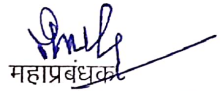
विषय :- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWE योजनांतर्गत जिला बालाघाट के किरनापुर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01809 के हल्बीटोला भालवा मार्ग से कालागोटा केशा माटे मार्ग लंबाई 6.00 किमी. के निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।

.....00.....

महोदय,

निवेदन है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWE योजनांतर्गत जिला बालाघाट के किरनापुर विकासखंड में पैकेज क्रमांक एम.पी.01809 के हल्बीटोला भालवा मार्ग से कालागोटा केशा माटे मार्ग लंबाई 6.00 किमी. के निर्माण/उन्नयन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किया जाना है। उक्त मार्ग निर्माण में 2.25 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। मार्ग के निर्माण/उन्नयन कार्य होने से यहाँ के रहने वाले आदिवासी, ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम होने से उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास होगा।

अतः अनुरोध है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृष्ठा. क्र. 2029 / तक / म0प्र0ग्रासप्रा / 2022
प्रतिलिपि:-

बालाघाट दिनांक 11 / 11 / 2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) महोदय, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।


महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट